प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) –

आंतरिक सॉफ्टवेयर विकास / अनुरक्षण / परीक्षण दल को सहायता समर्थन प्रदान करने हेतु विक्रेता का पैनल तैयार करने हेतु नियुक्ति

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003
फोन: 011-39187234
ई-मेल: rajiv.ranjan@nhb.org.in

1. <u>महत्वपूर्ण बोली विवरण</u>

1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	12.03.2020
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक (तिथि एवं समय)	23.03.2020 : 1600 बजे
3.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	08.04.2020 : 1800 बजे
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	09.04.2020 : 1800 बजे
5.	बयाना जमा-राशि	₹50,000/-
6.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रधान कार्यालय कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

टिप्पणी: -

- **बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल के माध्यम से या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने पर दी जाएगी**

- **इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।**

2. राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:

- आबादी के सभी वर्गों को की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- अधिनियम के तहत प्राप्त विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति केर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, चेन्नै, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद और भोपाल में है।

3. प्रयोजन / उद्देश्य

रा.आ.बैंक दो साल यानी 24 महीने की अवधि के लिए प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनियों / फर्मों का एक पैनल तैयार करने का इरादा रखता है जो अलग-अलग कार्य क्षेत्रों को

कम्प्यूटरीकृत करने के लिए अपने आंतरिक और बाहरी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के विकास / अनुरक्षण / परीक्षण के लिए योग्य आईटी पेशेवरों की आपूर्ति करेगा। बैंक जब भी आवश्यकता हो की योजना है कि सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के विकास / अनुरक्षण / परीक्षण के लिए सूचीबद्ध विक्रेताओं के पैनल से सहायता समर्थन इंजीनियर को नियुक्त किया जा सकता है।

4. कार्य-क्षेत्र:

- परियोजना का व्यापक दायरा उन विक्रेताओं का पैनल तैयार करने की परिकल्पना करता है, जो नए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का अध्ययन, डिजाइन, विकास, एकीकरण, परीक्षण और कार्यान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को नियुक्त करेंगे और बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को अनुकूलित करेंगे।

- आईटी पेशेवर बैंक द्वारा दिए गए आवश्यकता विनिर्देश के अनुसार आंतरिक और बाहरी सॉफ्टवेयर के विकास / अनुरक्षण / परीक्षण के लिए काम करेंगे।

- आईटी पेशेवर बैंक के अधिकारियों की देखरेख में एक या अधिक परियोजनाओं पर काम करेंगे।

- इन सॉफ्टवेयर परियोजनाओं के लिए बैंक द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफार्मों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

- आईटी पेशेवरों की आपूर्ति पूरी तरह से बैंक द्वारा स्वीकृत दर और शॉर्टलिस्टेड बोलीदाता की विशिष्ट अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर जाएगी।

- डीएलएल, ईमेज, लाइब्रेरी फ़ाइलों, डेटाबेस डिक्शनरी, संबंधित दस्तावेजों सहित स्रोत कोड को अनुरक्षण और परिवर्तन प्रबंधन के लिए संतोषजनक रूप से सौंप दिया जाना चाहिए। सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट बैंक के पास रहेगा।

- बैंक केवल शॉर्टलिस्ट किए गए विक्रेता के साथ ही कार्य करेगा और विक्रेता की तरफ से डेवलपर / इंजीनियर को कोई सीधा भुगतान नहीं करेगा।

- विक्रेता जो इंजीनियर प्रदान करेगा, वह कंपनी का स्थायी कर्मचारी होना चाहिए। विक्रेता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंजीनियर को बैंक में असाइन करने से पहले आवश्यक पृष्ठभूमि सत्यापन की गयी है।

- निविदा सॉफ्टवेयर विकास / अनुरक्षण / परीक्षण के लिए बैंक के अधिकारी के साथ काम करने के लिए आईटी पेशेवरों को उपलब्ध कराने के लिए विक्रेताओं का पैनल तैयार करने के लिए है। **वाणिज्यिक कोटेशन को केवल आवश्यक आधार पर समान विक्रेताओं से मंगवाया जाएगा। हर बार, एल 1 विक्रेता को सहायता समर्थन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा।** बैंक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता समर्थन इंजीनियर का चयन करने के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा। यदि L1 विक्रेता आदेश की नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर उपयुक्त पेशेवर (केवल बैंक द्वारा निर्धारित) प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो विक्रेता का पैनल रद्द किया जा सकता है।

  हालांकि, चयन के बाद यदि यह पाया जाता है कि इंजीनियर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो विक्रेता एक सप्ताह की नोटिस अवधि के भीतर उपयुक्त स्थानापन्न इंजीनियर प्रदान करेगा।

5. पैनल तैयार करने की अवधि

पैनल तैयार करने की वैधता पैनल तैयार करने की तारीख से दो साल के लिए होगी। बैंक के आदेश पर पैनल तैयार करने की वैधता को एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बैंक के पास अनुबंध की अवधि के दौरान 3 महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का विकल्प होगा। अवधि के बावजूद, सौंपी गई योजना को तब तक ऑपरेटिव माना जाएगा, जब तक कि असाइन की गई परियोजनाएं बंद न हो जाएं और इसलिए सूचीबद्ध फर्म को काम पूरा होने तक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, या विशेष रूप से वर्णित है लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

6. <u>बोलीदाताओं को निर्देश</u>

6.1 सामान्य:-

- वाणिज्यिक कोटेशन केवल आवश्यक आधार पर पैनल विक्रेताओं से मंगवाए जाएंगे। रा.आ.बैंक विक्रेता की सेवा को उपयुक्त नहीं पाए जाने पर बिना कोई कारण बताए किसी भी विक्रेता के पैनल को रद्द करने या किसी भी विक्रेता/विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उस स्थिति में, रा.आ.बैंक, रा.आ.बैंक के पास जमा की गई पैनल विक्रेता की ईएमडी राशि को भी जब्त कर सकता है।

- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।

- प्रत्येक प्राप्तकर्ता यह मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र परामर्शदाता/ओं को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।

- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।

- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें

श्री राजीव रंजन सहायक महाप्रबंधक ईमेल आईडी: rajiv.ranjan @nhb.org.in दूरभाष: 011- 39187234	श्री सुशांत कुमार पाधी उप महाप्रबंधक ईमेल आईडी: susanta.padhi @nhb.org.in दूरभाष: 011- 39187113

- रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी/निविदा के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।

- यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।

- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति से सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रात: 10 से सायं 6 बजे के बीच बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- बोलीदाता को भारत सरकार के किसी भी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।

- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

6.2 बोली पूर्व बैठक

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में दिनांक xx-02-2020 को या इससे पहले अथवा ईमेल द्वारा या पोस्ट द्वारा उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग

लेने की अनुमति होगी।

6.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

6.4 निविदा/आरएफपी की गैर हस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

6.5 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फोर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

6.6 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति हेतु अंतिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ.बैंक किसी भी कारण से बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन/सुधार करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। बोलीदाता/ओं द्वारा किसी भी प्रकार के चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

6.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

6.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास आरएफपी में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

6.9 तकनीकी मूल्यांकन मानदंड

फर्मों से प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन उनकी तकनीकी दक्षताओं के आधार पर किया जाएगा। केवल अर्हता प्राप्त तकनीकी स्कोर वाली फर्मों को ही पैनल में रहने का अधिकार दिया जाएगा।

बोलियों के मूल्यांकन के लिए मानदंड और बिंदु प्रणाली निम्नानुसार है:

अधिकतम अंक- 100

	मानदंड अंक	(अधिकतम अंक)
1. फर्मों / कंपनी के रजिस्ट्रार से पंजीकरण प्रमाणपत्र क. स्वामित्व ख. साझेदारी ग. प्रा. लिमिटेड कंपनी घ. लिमिटेड कंपनी (सार्वजनिक) * व्यक्तिगत स्वामित्व फर्म के लिए कोई पंजीकरण लागू नहीं है	प्रकृति में गुणात्मक 03 05 07 10	<u>अधिकतम अंक 10</u>
2. ग्राहकों की सूची (जिनके लिए सहायक / परामर्श समर्थन सॉफ्टवेयर विकास परियोजना की ओर प्रदान किया गया है) (केवल वर्तमान में वैध अनुबंध (पिछले 5 वर्षों के भीतर) सौंपे गये अंक के लिये माना जाता है) • भारत में सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट में 7 या इससे अधिक • भारत में सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट में 4 से 6	15 10 05	<u>अधिकतम अंक 15</u>

• भारत में सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट में 3 तक		
3. ग्राहकों की सूची (भारत में सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट) जिन्होंने बोली लगाने वाली कंपनी को संतोषजनक सेवा प्रमाणपत्र जारी किया है (सॉफ्टवेयर विकास परियोजना के लिए सहायक / परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए) • 5 से अधिक ग्राहक • 3-5 ग्राहक • कम से कम 2 ग्राहक	15 10 05	<u>अधिकतम अंक 15</u>
4. कारोबार में होने का ट्रैक (अपने पेशेवरों को नियुक्त करने के माध्यम से सॉफ्टवेयर विकास परियोजना के लिए सहायक / परामर्श सहायता प्रदान करना) • 7 या अधिक वर्ष से कारोबार में • 3 वर्ष से अधिक 7 वर्ष से कम के लिये कारोबार में	20 10	<u>अधिकतम अंक 20</u>
5. आईएसओ प्रमाणब या सीएमएम स्तर- III प्रमाणन या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र से ऊपर क. यदि हाँ ख. यदि नहीं	10 00	अधिकतम अंक 10

6. तकनीकी और योग्य श्रम शक्ति (न्यूनतम योग्यता: बी.ई/ बी.टेक; एमसीए / एमसीएस; एम.ई / एम.टेक या समकक्ष जो 2 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए सॉफ्टवेयर विकास में शामिल है। • 100-150 योग्य और अनुभवी इंजीनियर • 151-200 योग्य और अनुभवी इंजीनियर	10 15 20	<u>अधिकतम अंक 20</u>
7. पिछले 3 वर्षों के लिए औसत कारोबार (सेवाओं / वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के संबंध में) • > 5 करोड़ रु. और = <8 करोड़ • > 8 करोड़ रु. और = <10 करोड़ • > 10 करोड़ रु.	06 08 10	<u>अधिकतम अंक 10</u>

नोट: संगठन जिसके पास अपने पेरोल पर न्यूनतम 1000 कर्मचारियों के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का औसत वार्षिक कुल कारोबार है और बंगलौर एवं हैदराबाद सहित भारत के सभी मेट्रो शहरों में कार्यालय हैं, को इस आरएफपी के लिए बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

बोलीदाताओं को उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक मानदंडों के एवज में सहायक दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करनी होंगी, जिनके बिना बोली अस्वीकार की जा सकती है।

पैनल तैयार करने हेतु बोली के लिए न्यूनतम योग्यता स्कोर 70 होगा। तथापि बैंक कट ऑफ अंक को कम करने का अधिकार रखता है यदि पर्याप्त संख्या में बोलियाँ ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम स्कोर के साथ योग्य नहीं हैं।

6.10 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (कृपया प्रारूप में अलग से निर्धारित निर्देश यदि कोई हो, का पालन करें)

1. **अनुलग्नक I** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;

2. **अनुलग्नक II** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में बोलीदाता का अनुभव विवरण;
3. **अनुलग्नक III** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
4. **अनुलग्नक IV** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में विचलन की सूची, यदि कोई हो;
5. **अनुलग्नक V** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में **तकनीकी बोली कवरिंग पत्र**:;
6. **अनुलग्नक VI** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में **तकनीकी बोली प्रारूप**;
7. **अनुलग्नक VII** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
8. **अनुलग्नक VIII** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में सक्षमता पत्र;
9. **अनुलग्नक IX** में प्रारूप में संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट *(संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर स्पष्ट टाइप किया जाना चाहिए और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से उक्त पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तिथि होनी चाहिए)* में निर्धारित प्रारूप में संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट (जहां भी लागू हो)।

नोट: ईएमडी राशि के बिना बोलियों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.11 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी। भारतीय रूपए के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.12 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

(क) सभी बोलियां **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम से 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि के साथ होनी चाहिये।

रा.आ.बैंक खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र. सं.	प्रकार	विवरण

1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र , लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं .	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं .	110004005

(ख) भुगतान का सबूत संलग्न होना चाहिए तथा तकनीकी बोली लिखकर लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश प्रपत्र, जैसा **अनुलग्नक VII** में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ग)यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई भी बोली अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।

(घ)एमएसई (माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) को मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार माना जाएगा। संबंधित उद्यम को आवश्यक दस्तावेजी सबूत देने की आवश्यकता है।

(ङ) ईएमडी से छूट हेतु अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(च) अन्यथा यहां दिए गए या निश्चित करार में, सभी असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर वापस कर दी जाएगी।

(छ) अन्यथा यहां दिए गए या निश्चित करार में, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि पैनल की अवधि पूरी होने के बाद वापस कर दी जाएगी।

(ज) ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली/बोलियां आहरित कर लेता है;
- संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है;
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल हो जाता हैः तथा
- अनुबंध-पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट के किसी भी उल्लंघन के मामले में।

6.13 बोलियों की वैधता अवधि

- बैंक द्वारा निर्धारित बोली खोलने की तारीख से छह महीने के लिए बोली वैध रहेगी। कम अवधि के लिए वैध बोली को गैर जिम्मेदार के रूप में रा.आ.बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि समय को सभी प्रतिभागियों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

6.14 बोली प्रारूप तथा हस्ताक्षर

बोली को यहाँ **" राष्ट्रीय आवास बैंक में आंतरिक सॉफ्टवेयर विकास /अनुरक्षण/परीक्षण दल को सहायता समर्थन प्रदान करने हेतु विक्रेता का पैनल तैयार करने हेतु प्रस्ताव"** के रूप में संदर्भित किया गया है।

6.15 बोलियों की मुहरबंदी एवं चिह्नांकन

- सभी लिफाफे नीचे दिये पते पर रा.आ. बैंक को भेजे जाएंगेः

उप महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

- सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए। बोलीदाता मुख्य लिफाफे में अर्हता-पूर्व मानदंड की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के साथ पैनल हेतु प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहरबंद करेगा।

- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और इसके ऊपर **"राष्ट्रीय आवास बैंक में आंतरिक सॉफ्टवेयर विकास /अनुरक्षण/परीक्षण दल को सहायता समर्थन प्रदान करने हेतु विक्रेता का पैनल तैयार करने के लिए प्रस्ताव** अलग से लिखा हो।

- यदि लिफाफों मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गया तो रा.आ.बैंक बोलियों के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।

6.16 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में, यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी।

- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

6.17 विलंब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त कोई भी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

6.18 रा.आ.बैंक बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

- **तकनीकी बोलियां खोलने का स्थानः**

  राष्ट्रीय आवास बैंक,
  कोर 5ए, भारत पर्यावास केंद्र,
  लोधी रोड,
  नई दिल्ली- 110003

- बोलीदाता के नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति, तथा अन्य ब्योरे जिसे रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार उचित समझता है, की घोषणा बोली खोलने के समय की जाएगी।

6.19 बोलियों पर स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व विवेकानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (ई-मेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.20 प्रारंभिक जांच

- रा.आ.बैंक यह निर्धारित करने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।

- रा.आ.बैंक स्व एकमात्र विवेकानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

6.21 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

6.22 बोलीदाताओं को निर्देशः

बोलीदाता (चयनित मामलें में) रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर रा.आ.बैंक द्वारा सौपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

6.23 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

बोलीदाता के पास नई दिल्ली-एनसीआर में उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए ताकि वह इस परियोजना के तहत सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कर सके।

6.24 मैनुअल/डॉइंग

बोलीदाता संविदा की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाएं के लिए संपूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उपलब्ध

कराई गई सेवाएं सप्ष्ट तौर पर उल्लिखत होनी चाहिए।

6.25 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-वितरण के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

6.26 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है और यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें इस आरएफपी पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड अनुलग्नक-IV के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शायें कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

6.27 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

6.28 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

6.29 प्रस्ताव की सामाग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियेाजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

6.30 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाये। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

6.31 कानूनों का अनुपालन

क) सलाहकार/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

ख) विक्रेता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने

वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.32 बौद्धिक संपदा अधिकार

पैनल विक्रेता के रूप में उसके चयन की स्थिति में बोलीदाता यह वारंट देता है कि:

(क) उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।

(ख) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।

(ग) ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा अथवा खर्चे पर (क) रा.आ.बैंक के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार प्राप्त करेगा; (ख) ऐसे प्रदेयों को गैर अवहेलनायुक्त बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रियाकलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये; हों अथवा (ग) यदि प्रदेय इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों वापसी स्वीकार करना एवं बोलीदाता को ऐसे प्रदेयों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए रा.आ.बैंक की प्रतिपूर्ति के साथ दंड के अतिरिक्ति समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए रा.आ.बैंक द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की रा.आ.बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि रा.आ.बैंक इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लगात का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी बोलीदाता दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि रा.आ.बैंक की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है।

(घ) बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है एवं अत: इसे

सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी के दर्शाया गया है, से विधिवत समर्थित प्रकियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।

6.33 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा/बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गर्यी उसकी निविदा/बोली की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे।

(क) यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल बायाना/ईएमडी राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ख) यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने निर्णयनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है जैसा कि पीबीजी के आह्वान सहित अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में प्रदान किया गया है।

7. योग्यता-पूर्व मानदंड

बोलीदाता के पास कम से कम 100 आईटी पेशेवर होने चाहिए, जिनके पास इनकी भूमिका में निम्नलिखित में से एक योग्यताएँ हों। (इस प्रभाव का एक उपक्रम बोलीदाता द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए)

- बी.ई/बी.टेक; एमसीए/एमसीएस; एम.ई/एम.टेक या समकक्ष जो 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि हेतु सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शामिल है।

- संलग्न किए जाने वाले आईटी पेशेवरों के नाम और अर्हता की सूची।

2) बोलीदाता के पास अनुलग्नक- II में उल्लिखित विशेषज्ञता के प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 10 आईटी पेशेवर होने चाहिए।
3) कंपनी को भारत में बैंकिंग या वित्तीय संस्थानों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए।
4) कम से कम 3 वर्षों के लिए बोलीदाता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कारोबार में होना चाहिए।
5) बोलीदाताओं का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तकनीकी सहायता कार्यालय होना चाहिए।
6) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए बोली लगाने वाली कंपनी (मूल कंपनी नहीं) का औसत कारोबार 5 करोड़ रूपये से अधिक होना चाहिए (प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजी प्रमाण)।

नोट 1: बोलीदाताओं को उपर्युक्त मानदंडों की योग्यता स्थापित करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना है।

नोट 2: सभी पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को केवल तकनीकी मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। अन्यथा बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
www.nhb.org.in – What’s New

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

XXXXXXXXXXX